




INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh


IN-UP51102323323420V

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP51102323323420V
 Certificate Issued Date : 21-Oct-2023 02:31 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14454804/ FIROZABAD SADAR/UP-FRZ
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1445480497907393529053V
 Purchased by : SUBRAT PATHAK
 Description of Document : Article 18 Certificate of Sale
 Property Description : Not Applicable
 Consideration Price (Rs.) : 100
 (One Hundred only)
 First Party : SURENDRA KUMAR SHRIVASTAV
 Second Party : SUBRAT PATHAK
 Stamp Duty Paid By : SUBRAT PATHAK
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
 (One Hundred only)


2100510071007100



IN-UP51102323323420V


Please write or type below this line

1- नम्बर ०६ - - - - -
 2- दिनांक २१-१०-२०२३
 3- पृष्ठ संख्या - १२ -



Signature: 21/10/2023


25/10/23
21/10/23



1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Siddhant
21/10/2023

2322465
21/10/23



dated to Shri - 21-10-2023 सुनेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० श्री जवाहर लाल श्रीवास्तव
 who understand the contents there of and who has voluntarily affirmed before me by the above
 named person identified by Shri - 2007 प्रमोद लाल नं० 6078 वृष अरी नपाट में 8-8A
 who personally known to me this day इमश रस इलाहाबाद प्रयागराज
 at - 2007 सुवर्ण पाठक पुत्र श्री देवव्रत पाठक
 before me at - 21-10-2023

Rachinath Singh Rajput Notary an Advocate
 Notaries Act, 1952(53) Do hereby certify that the
 deed was presented today before me at...
 in the Court premises/My residence at...
 the document was read out & explained to the
 executant and he has acknowledged the same.
 at - 21-10-2023

स्थायी नि० 4/31 विभव चण्ड गोमती नगर
 लखनऊ
 महेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० श्री जवाहर लाल
 श्रीवास्तव
 नि० 8/14 जजज काम्पाउण्ड सिविल लाइंस
 दरभङ्ग जिला सिवासाबाद
 2- अशोक त्रिपाठी पुत्र स्व० श्री बाद० लन० त्रिपाठी
 नि० 8/14 बालिसपुर दोस्तपुर जिला सुल्तानपुर

विक्रय के लिये समझौता-पत्र

सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० श्री जवाहर लाल श्रीवास्तव,
निवासी फ्लैट नं० 607B, बृजहरि अपार्टमेंट, 8-8A, ड्रमण्ड रोड, इलाहाबाद, प्रयागराज।

.....प्रथम पक्ष (विक्रेता)

बनाम

सुव्रत पाठक पुत्र श्री देवव्रत पाठक,
वर्तमान निवासी J-IV/14, जजेज कम्पाउंड सिविल लाइन्स डबरई फिरोजाबाद
स्थायी निवासी 4/31 विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

.....द्वितीय पक्ष (क्रेता)

- 1- विदित है कि मुझ प्रथम पक्ष (विक्रेता) के नाम एक आवासीय भूमि है जिसका मैं मालिक व स्वामी हूँ। जो कि ग्राम जुगौर, परगना, तहसील, व जिला लखनऊ में स्थित है।
- 2- यह कि मुझ प्रथम पक्ष (विक्रेता) को अपनी जमीन का विक्रय करना है उक्त जमीन के विक्रय का मुझे पूर्ण अधिकार है।
- 3- यह कि मुझ प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के मध्य कुल जमीन 2000 वर्गफीट का मसौदा 1950/- रुपये प्रतिवर्ग फीट के हिसाब से तय हुआ है और द्वितीय पक्ष (क्रेता) द्वारा कुल रुपये धनराशि 39 लाख रुपये अदा करने पर प्रथम पक्ष (विक्रेता) द्वितीय पक्ष क्रेता के नाम बैनामा निष्पादित करेगा।
- 4- यह कि द्वितीय पक्ष (क्रेता) उ०प्र० न्यायिक सेवा में कार्यरत है जिस कारण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उक्त जमीन खरीदने की अनुमति मिलने के उपरांत यथाशीघ्र अन्दर सप्ताह बैनामा करायेंगे।
- 5- यह कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के मध्य समझौते की भूमि का विवरण निम्नवत् है:-
आवासीय भूखण्ड संख्या 220 (दो सौ बीस) खसरा संख्या 356(तीन सौ छप्पन), स्थित ग्राम जुगौर परगना, तहसील, व जिला लखनऊ।

जिसकी चौहद्दी- निम्नवत् है-

पूरब- रास्ता 25 फीट चौड़ा
पश्चिम- भूखण्ड संख्या 189
उत्तर- रास्ता 25 फीट चौड़ा
दक्षिण- भूखण्ड संख्या- 221

यह कि प्रथम पक्ष (विक्रेता) उक्त भूमि का विक्रय बिना किसी दबाव, लालच, लोभ के करना चाहता है।

- 7- यह कि द्वितीय पक्ष (क्रेता) उक्त भूमि का क्रय अपनी मासिक वेतन पर बैंक द्वारा ऋण प्राप्त कर करेगा।
- 8- यह कि यदि द्वितीय पक्ष (क्रेता) किन्ही अपरिहार्य कारणों से बैनामा दिनांक 20-11-2023 तक कराने में अक्षम रहता है तो प्रथम पक्ष (विक्रेता) प्रश्नगत भूमि को द्वितीय पक्ष को विक्रय करने हेतु बाध्य नहीं होगा और यह समझौता स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 9- यह कि प्रथम पक्ष (विक्रेता) एवं द्वितीय पक्ष (क्रेता) ने यह समझौतानामा बिना किसी नशीले पदार्थ का सेवन किये हुये, पूर्ण स्वेच्छा, बिना किसी लोभ, लालच के समक्ष गवाहान दिनांक 21-10-2023 को लिखा है जो वक्त जरूरत पर काम आये।

ह० प्रथम पक्ष

S. Anand
21/10/23


21/10/23
21/10/23
ह० द्वितीय पक्ष

गवाहान-

1. महेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० श्री जवाहर लाल श्रीवास्तव
निवासी- जे-2/7 जजेज कम्पाउण्ड, सिविल लाइन्स डबरई फिरोजाबाद

2. अनिल त्रिपाठी पुत्र स्व० श्री आर०एन० त्रिपाठी
निवासी- खालिसपुर, दोस्तपुर जिला सुल्तानपुर

Anil Tripathi



Prakash Khandel